

136

~~136~~

अल्पसंख्यक

23/5

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

कमांक: प.9(24) शिक्षा-5/2007पार्ट

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राज. बीकानेर।

निदेशक, राजस्थान	जयपुर, दिनांक: 17-5-12
23 MAY 2012	
प्रा.श. वि. 1123	


विषय:-मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं के संबंध में प्रकरण प्राप्त हुआ है।

अतः इस संबंध में प्राप्त पत्र की छाया प्रति भिजवाकर लेख है कि पत्र में वर्णित बिन्दुओं के अनुक्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से इस विभाग को भी आवश्यक रूप से अवगत करवाकर, यदि आवश्यक हो तो संबंधित को भी सूचित करने का श्रम करे।

संलग्न उपरोक्तानुसार।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. माननीय प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग को उनके पत्र कमांक: 2012/371 दिनांक: 26.4.12 के क्रम में।

वरिष्ठ लेखाधिकारी

137

173



राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

क्रमांक प. निस/प्रशास/अ.मा/2012/371 जयपुर, दिनांक : 26.04.2012

प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (मुप-5), आगम विभाग, जयपुर
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

S-2049

1966
1-5-12

30/04/12

विषय: मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं के कम में।
प्रसंग: दैनिक नवज्योति दिनांक 26/4/2012 में प्रकाशित समाचार

महोदय,

DSI
DS ECGMS
DS ECP

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक समाचार की जानकारी अखबार के माध्यम से हुई है। जिसके संदर्भ में निवेदन है कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन F.4(1)/MAW/2010 दिनांक 24.01.2011 से प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक विभाग को अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता दिये जाने हेतु कम्पीटेन्ट अथोरिटी नियुक्त किया है एवं इस निमित्त नियमों का प्रकाशन भी किया जा चुका है जिनकी फोटो प्रति संलग्न है।

अल्पसंख्यक संस्था से तात्पर्य उसी संस्था से होगा जिनके पास कम्पीटेन्ट अथोरिटी (प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात) द्वारा जारी किया गया या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

मिा

रोहित आर० ब्राण्डन
प्रमुख शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात विभाग

संलग्न - 07 टोन्नाडुका

श्री श्री
26
115